उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 23.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त अभियान

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में "मिशन शक्ति अभियान फेज-5" के अन्तर्गत आज दिनांक- 23.12.2025 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

"मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, स्कूलों/कॉलेजों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

@MahobaPolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 23.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

छात्राओं की आवाज़ बनेंगे थानों में संचालित मिशन शक्ति केन्द्र, विद्यालयों/कालेजों में स्थापित की जा रही हैं शिकायत पेटिकाएं...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत जनपद महोबा में छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सशक्त बनाए जाने तथा उन्हें सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद के समस्त थानों में मिशन शक्ति केन्द्रों की स्थापना की गई है।

मिशन शक्ति केन्द्रों में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के विद्यालयों/कॉलेजों में नियमित भ्रमण कर अध्ययनरत छात्राओं से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया जा रहा है, जिससे वे अपनी समस्याओं, आशंकाओं एवं सुझावों को निर्भीक होकर साझा कर सकें।

इसी क्रम में सभी शिक्षण संस्थानों में मिशन शक्ति केन्द्रों के माध्यम से शिकायत/सुझाव पेटिकाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनकी चाबी संबंधित थाने के मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी के पास सुरक्षित रहेगी। इन पेटिकाओं के माध्यम से छात्राएं/बालिकाएं अपनी शिकायतें, समस्याएं एवं सुझाव पुलिस तक गोपनीय रूप से पहुँचा सकेंगी। उक्त पेटिकाओं को प्रत्येक 07 दिवस में खोला जाएगा, प्राप्त शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा शिकायतकर्ता की पहचान को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 23.12.2025 को मिशन शक्ति केन्द्र थाना चरखारी की पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सूपा, चरखारी में शिकायत पेटिका स्थापित की गई। इस अवसर पर विद्यालय में अध्ययनरत एक छात्रा से शिकायत पेटिका का विधिवत उद्घाटन कर इसका शुभारंभ कराया गया, जिससे छात्राओं को यह संदेश दिया गया कि उनकी आवाज़ ही इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस अवसर पर महिला उप निरीक्षक नेहा विश्वकर्मा द्वारा छात्राओं को शिकायत पेटिका के उद्देश्य, उपयोग एवं गोपनीयता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे छात्राएं बिना किसी भय के अपनी बात पुलिस तक पहुँचा सकें।

महोबा पुलिस का यह प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक संवेदनशील, विश्वासपूर्ण एवं प्रभावी पहल है, जिसका उद्देश्य छात्राओं को आत्मविश्वास, सुरक्षा एवं सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांकः- 23.12.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 23.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

कोहरे में हादसों पर लगेगा ब्रेक, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन यातायात पुलिस ने चलाया रेट्रो रिफ्लेक्टर अभियान

आज दिनांक 23.12.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में प्रभारी यातायात श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा मय यातायात पुलिस टीम के साथ ठंड के मौसम में पड़ने वाले कोहरे एवं धुंध के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष यातायात सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान चलाया गया।

- अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न मार्गों पर संचालित लोडर वाहनों एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली में रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए, जिससे कम दृश्यता की स्थिति में पीछे से आने वाले वाहनों को समय रहते वाहन दिखाई दे सकें और संभावित दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके।
- इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें कोहरे के समय धीमी गति से वाहन चलाने, हेड लाइट एवं फॉग लाइट का सही प्रयोग, इंडिकेटर एवं रिफ्लेक्टर का अनिवार्य उपयोग, तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि भारी वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टर न होने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।
- यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई कि वे स्वयं की एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करें तथा अपने वाहनों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण अवश्य लगवाएं।
- जनहित में चलाया गया यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-23.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर सुभाषचन्द्र द्वारा गठित की गयी टीम द्वारा मुखिबर की सूचना पर बंगला पहाडिया मोड के पास वहद ग्राम कैथोरा थाना अजनर जनपद महोबा से एक नफर अभियुक्त बहादुर यादव पुत्र अमर सिंह उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम कैथोरा थाना अजनर जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार नियमानुसार गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 294/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 आकाश मौर्य 2. उ0नि0 ऋषी शुक्ला
3. का0 अमर वर्मा थाना अजनर जनपद महोबा।

बरामदगी–

एक अदद तमंचा देशी 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त–

बहादुर यादव पुत्र अमर सिंह उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम कैथोरा थाना अजनर जनपद महोबा

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

आवश्यक वस्तु अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए ₹4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप सी0जे0एम0 महोबा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में आरोपी अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 4000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना चरखारी में पंजीकृत मु0अ0सं0 769/2011 धारा- 3/7 ई0सी0 एक्ट से सम्बंधित आरोपी अभियुक्त शमीम पुत्र हनीफ निवासी मु0 तुर्कियाना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 4000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

हे.कां. बलजीत सिंह
पैरोकार थाना चरखारी महोबा

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के अपराध में टॉप-10 सूचीबद्ध अभियुक्त सहित कुल 02 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹5,000-₹5,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

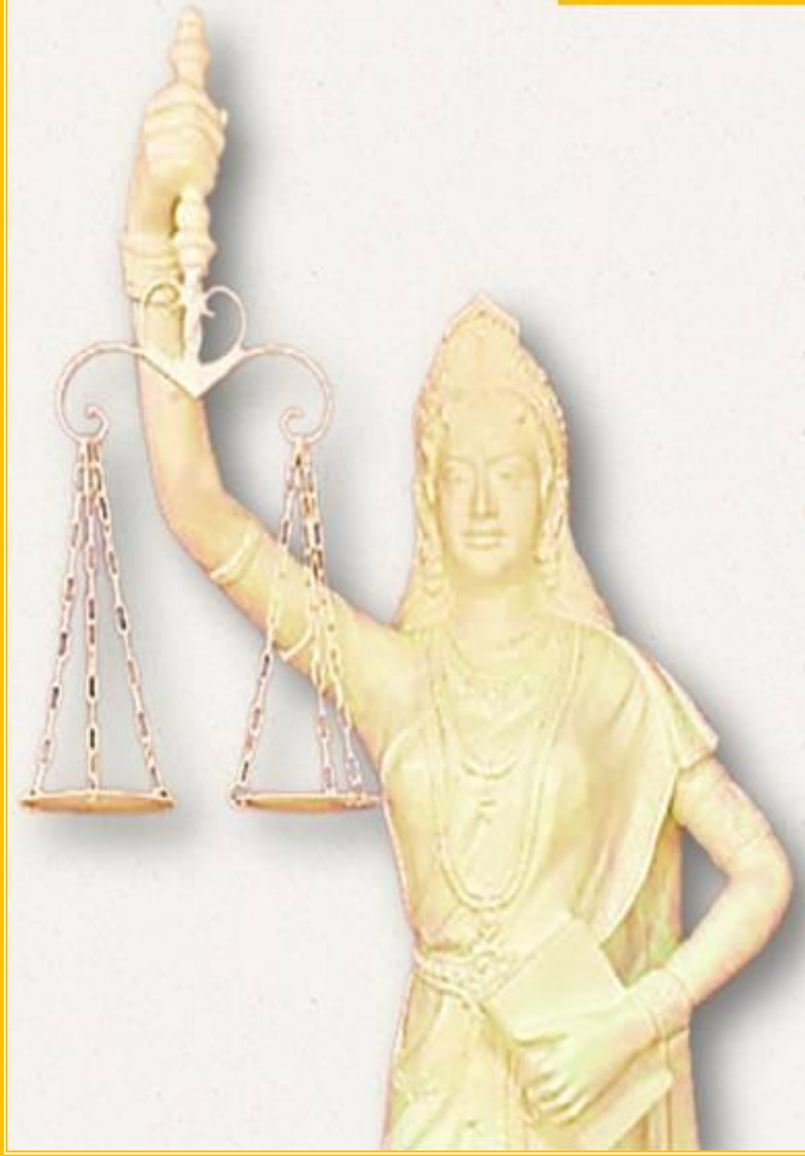

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन पक्ष के साथ मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप ए.एस.जे. प्रथम महोबा द्वारा चोरी की सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने वाले टॉपटेन अपराधी 02 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 05-05 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत मु0अ0सं0 12/2015 धारा 411 भादवि से सम्बंधित टॉप-10 आरोपी अभियुक्त 1. कमलेश पुत्र छन्नू तथा अभियुक्त 2.सन्तोष पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 05-05 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

टॉप-10 अपराधी
कमलेश ढीमर

हे.का. प्रेमबाबू द्विवेदी
पैरोकार थाना कोत0 नगर महोबा